

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक: एफ.11(2)(36)/मो./आईसीडीएस/2015/118750-782 जयपुर, दिनांक: 8-9-16


उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय:- जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों की उपयोगिता के संबंध में।

सन्दर्भ:-आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी परिपत्र 1/54034/2016 दिनांक
21.07.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी परिपत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी सभी जनहित योजनाओं में लाभार्थियों/नागरिकों के वैधानिक विन्धिकरण में भारत सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1969 की धारा 4(3) के तहत जारी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को ही विधिक रूप से निष्कर्षी (अन्तिम) दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है।


अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समेकित बाल विकास सेवाएँ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी सेवाओं/योजनाओं में जहाँ जन्म या मृत्यु के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता हो, केवल जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र को ही प्रमाणित साक्ष्य स्वीकार करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।


निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.11(2)(36)/मो./आईसीडीएस/2015/118783-119087 जयपुर, दिनांक: 8-9-16

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को पत्र भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
2. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, तिलन मार्ग जयपुर।


संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर